नशा करने वाले व्यक्तियों के कथित मामले और नशा मुक्ति केन्द्रों की संख्या

1383. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में नशा करने संबंधी कितने मामले प्रकाश में आये;

(ख) कितने मामलों में आरोप-पत्र दाखिल किये गए हैं;

(ग) देश में स्थापित किये गए नशा मुक्ति केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(घ) इस बुराई पर नियंत्रण पाने के लिए और कितने केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता है; और

(ङ) वर्ष 1996-97 के दौरान ऐसे कितने केन्द्र खोले जाने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामू-वालिया): (क) देश में नशीली दवाओं के दुरूपयोग की सीमा का आकलन करने के लिए अभी तक कोई राष्ट्र व्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, कल्याण मंत्रालय मद्य निषेध और नशीली दवा दुरूपयोग निवारण के लिए एक योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ परामर्श/नशामुक्ति व पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान प्रदान किया जाता है। नशीली दवाओं के व्यसनी ऐसे केन्द्रों में नशामुक्ति एवं पुनर्वास के लिए स्वैच्छिक रूप से स्वयं को पंजीबद्ध कराते हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले वर्षों के दौरान ऐसे केन्द्रों में पंजीकृत किए गए नशीली दवाओं के व्यसनियों की राज्यवार संख्या विवरण—I में दी गई है। **(नीचे देखिए)**

(ख) इस मंत्रालय की सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त स्वयंसेवी संगठनों द्वारा संचालित ऐसे केन्द्रों को स्वैच्छिक रूप से आने वाले नशीली दवा के व्यसनियों को आरोपित नहीं किया जाता है।

(ग) इस मंत्रालय की सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान किए जा रहे नशामुक्ति केन्द्रों की संख्या (राज्यवार) विवरण—2 में दी गयी है। **(नीचे देखिए)**

(घ) तथा (ङ) नए केन्द्रों की स्थापन करना अन्य बातों के साथ इस योजना में निर्धारित कतिपय मानदंडों को पूरा करने संगठन के अनुभव, निधियों की उपलब्धता, आवश्यकता, एक क्षेत्र में समस्या की गम्भीरता आदि पर निर्भर करता है। किसी वित्त वर्ष में अपेक्षित अथवा खोले जाने के लिए प्रस्तावित केन्द्रों की सही संख्या को निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

विवरण—I

"मद्य निषेध तथा नशीली दवा दुरूपयोग निवारण की योजना" के अंतर्गत गत तीन वर्षों पंजीकृत किए गए नशीली दवा के व्यसनियों की संख्या (राज्यवार)

क्र० सं०	राज्य	1994-95	1995-96	1996-97
1.	आन्ध्र प्रदेश	3,102	2,670	1,956
2.	असम	1,051	297	1,556
3.	बिहार	30,152	22,869	20,767
4.	गोवा	2,538	3,648	2,910
5.	गुजरात	12,521	14,756	19,173
6.	हरियाणा	23,069	15,623	22,095
7.	जम्मू और कश्मीर	214	187	221
8.	कर्नाटक	4,788	1,308	3,086
9.	केरल	25,231	29,375	17,880

क्र० सं०	राज्य	1994-95	1995-96	1996-97
10.	मध्य प्रदेश	10,231	10,577	9,666
11.	महाराष्ट्र	18,934	13,589	11,079
12.	मणिपुर	6,047	7,770	6,035
13.	मेघालय	8	248	468
14.	मिजोरम	2,228	2,225	3,698
15.	नागालैंड	1,010	1,041	1,834
16.	उड़ीसा	12,448	9,165	13,907
17.	पंजाब	27,831	18,714	22,618
18.	राजस्थान	11,454	6,385	6,099
19.	सिक्किम	52	1,063	183
20.	तमिलनाडु	15,687	16,667	18,464
21.	त्रिपुरा	546	436	1,828
22.	उत्तर प्रदेश	40,343	53,442	6,824
23.	पश्चिम बंगाल	23,571	17,039	17,107
संघ राज्य क्षेत्र				
1.	चंडीगढ़	1,186	2,202	1,174
2.	दिल्ली	37,207	28,626	40,149
3.	पांडिचेरी	560	2,343	331

विवरण—2

वर्ष 1996-97 के दौरान मद्य निषेध और नशीली दवा दुरूपयोग निवारण की योजना के अंतर्गत नशामुक्ति केन्द्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केन्द्रों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	3
2.	असम	1
3.	बिहार	10
4.	गोवा	1
5.	गुजरात	5
6.	हरियाणा	8
7.	जम्मू और कश्मीर	1
8.	कर्नाटक	3
9.	केरल	11
10.	मध्य प्रदेश	4
11.	महाराष्ट्र	7
13.	मिजोरम	5
14.	मेघालय	—
15.	नागालैंड	2
16.	उड़ीसा	6
17.	पंजाब	7
18.	राजस्थान	4
19.	सिक्किम	—
20.	तमिलनाडु	8
21.	त्रिपुरा	—
22.	उत्तर प्रदेश	12
23.	पश्चिम बंगाल	6
		114

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को अनुदान

1384. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: